[2022] 18 एस. सी. आर .311

अरूण पुरी

विरूद्ध

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अन्य

(2022 का आपराधिक अपील क्रमांक 1853-1856)

31 अक्टूबर 2022

[उदय उमेश ललित, मुख्य न्यायाधीश एवं बेला एम. त्रिवेदी, न्यायाधीश]

दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 482-परिवाद को रद्द करना-तत्काल प्रकरण में समाचार पत्रिका इंडिया टुडे में 'मिशन मिसकंडक्ट' शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित किया गया था जिसमें कहा गया था कि विदेश कार्यालय के लिए शर्मिंदगी की एक श्रंखला में ब्रिटैन में भारतीय उच्चायोग में नियुक्त तीन भारतीय अधिकारियों को यौन दुर्व्यवहार वीजा जारी करने में भ्रष्टाचार और अवैध प्रवासियों को भारतीय पासपोर्ट के बिक्री के गंभीर आरोपों के बाद तुरंत वापस बुलाना पड़ा था - ब्रिटेन में नियुक्त भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ एक स्थानीय कर्मचारी से यौन संबंध बनाने का अनुरोध करने के आरोप लगाए गए थे - लेख में आगे कहा गया है कि उक्त अधिकारी जो अब भारत में हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे थे और जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने आरोपों से इनकार किया- लेख के प्रकाशन के बाद अभियुक्त संख्या 12 की शिकायत के आधार पर विदेश मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.05.2007 को ज्ञापन जारी किया गया था- जिसके द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था कि उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यस्थल पर एक महिला के यौन उत्पीड़न के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाये -उक्त अधिकारी ने जवाब दाखिल किया और उसके बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा भी दंड अधिरोपित करने के आदेश की पुष्टि की. इस दौरान उक्त अधिकारी द्वारा अनेक व्यक्तियों अ .1 (प्रधान संपादक) अ.2 (लेख के लेखक) और लोक सेवकों अ .3, अ .4 और अ.8 और अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 120ख, 405, 468, 470, 471, 499, 501 और 502 सहित विभिन्न धाराओं के तहत परिवाद दर्ज किया गया- दंडाधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख सहपठित धारा 500, 502 के अधीन दंडनीय अपराधों के किये जाने के लिए अभियुक्त 1,2,3,4,8 और 12 के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई. - धारा 482 के तहत दायर याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था- अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः अ .1 के लिए कुछ भी विशिष्ट नहीं था इसलिए उसे लेख के लेखक अर्थात् अ.2. द्वारा किए गए

कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है अ.2 की भूमिका के संबंध में कि क्या उसने जो किया वह एक ऐसा कार्य था जो उचित था या नहीं यह तथ्य का प्रश्न होगा जिसे केवल विचारण के स्तर पर ही देखा जाना चाहिए- जहां तक लोक सेवकों का संबंध है वे प्रमुख रूप से लेख के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और उनके उत्तरदायित्व , यदि कुछ हो भी, तो केवल इस हद तक है कि उन्होंने या तो अ.12 द्वारा की गई परिवाद के सम्बन्ध में कुछ सूचना दी या लोक सेवकों के रूप में अपनी क्षमता में अपने वरिष्ठों को कुछ बताया, उनके कार्य पूरी तरह से संरक्षित हैं- जहां तक अ .1 और लोक सेवकों अ.3, अ.4 और अ.8 का संबंध है अपील स्वीकार की जाती है और समन आदेश को अपास्त किया जाता है और उनके खिलाफ दर्ज परिवाद को रद्द किया जाता है- अ .2 द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता है।

अपील का निपटारा करते हुए न्यायालय ने यह माना कि-

1. प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 की धारा 7 के अंतर्गत संपादक के संबंध में यह उपधारणा उपलब्ध है, यहां तक कि यदि तथ्य उचित हो, तो मुख्य संपादक के विरूद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है। किसी दिये गये मामले में यदि तथ्य उचित हो तो ऐसी स्थिति में भा.द.स. की धारा 499 का अपवाद का लाभ दिया जा सकता है और इसे एक कठोर सिद्धांत नहीं माना जा सकता है, कि अपवाद का लाभ केवल विचारण के स्तर पर ही दिया जाना चाहिए। परिवाद में उल्लेखित अभिवचन एवं आक्षेप पर विचार करते हुए मुख्य संपादक अ.1 के बारे में ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं बताया गया है। अतः उन्हें लेख के लेखक अर्थात अ.2 द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। परिवाद में उल्लेखित आरोप के आधार पर अ.1 के विरूद्ध कोई प्रकरण नहीं बनता है।

2. अ.2 को दी गई भूमिका के संबंध में इस स्तर पर यह अवश्य रूप से बताना उचित होगा कि लेख के लेखक के रूप में यह मामला अलग हैं। उसके द्वारा किया गया कृत्य उचित था या नहीं यह तथ्य का प्रश्न हैं जिस पर केवल विचारण के दौरान ही विवेचन किया जा सकता है।

3. जहाँ तक कि लोक सेवकों का संबंध है वे मुख्य रूप से लेख के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं और उनकी ज़िम्मेदारी केवल अ.12 द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अभिवचन के संबंध में या उनकी लोकसेवक की क्षमता में उनके वरिष्ठ को दी गई सूचना तक सीमित है। इस न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत राजेन्द्र कुमार सीताराम राम पाण्डे विरूद्ध उत्तम में पारित सिद्धांत के आलोक में उनका कृत्य पूर्णतः संरक्षित है।

6. उपरोक्त परिस्थतियो में जहां तक अ.1 एवं लोकसेवक अ.3, अ.4 एवं अ. 8 का संबंध हैं, अपील स्वीकार की जाती है तथा समन किये जाने के आदेश अपास्त किये जाते है।

इसके अतिरिक्त उनके विरूद्ध दर्ज परिवाद क्रमांक 584/1/2010 खारिज किया जाता है इसके अतिरिक्त अ.2 द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।

न्यायदृष्टांत *के.एम. मैथ्यू विरूद्ध के.ए. अब्राहम व अन्य* **(2002) 6 एस.सी.सी. 670;(2002) 1 एसयूपीपीएल एस.सी.आर. ; 662** *जवाहरलाल एल दारदा व अन्य विरूद्ध मनोहरराओ गणपतराओ कापसीकर व अन्य* **(1998) 4 एस.सी.सी.112;** *राजेन्द कुमार सीताराम पाण्डे विरूद्ध उत्तम* **(1999) 3 एस.सी.सी.134 ;1999 1 एस.सी.आर 580** पर निर्भर किया गया।

न्यायादृष्टांत संदर्भ

2002 1 एसयूपीपीएल एस.सी.आर. 662 - पैरा 16

1998 4 एस.सी.सी. 112 - पैरा 19

1999 1 एस.सी.आर. 580 - पैरा 20

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील क्रमांक 1853-1856/2022

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक एम.सी. नंबर 3492/2013 एवं आपराधिक एम.ए 12820/2013 आपराधिक एम.ए 18912/2014 एवं आपराधिक एम.ए 12577/2020 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.04.2021 एवं आपराधिक अपील नंबर 1857 -1860, 1861-1863/ 2022 ।

तुषार मेहता एस.जी., सुश्री एश्वर्या भाटी एएसजी, एस. वी. राजू वरिष्ट एएसजी, के.वी विश्वनाथन, हुज़ेफा ए. अहमदी, अधिवक्तआें, हृषिकेश बरुआ, प्रणव जैन, शिवज्ञानम के., सुश्री अर्चना पाठक दवे, रजत नायर, सुश्री दीपाबली दत्ता, रुपेश कुमार, राज बहादुर यादव, जोहेब हुसैन, कानू अग्रवाल, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, जी.एस मक्कर, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

आर. सतीश, शेरी जॉर्ज चेरियन, मोहनदास के.के , राजेश कुमार, माथेन जोसेफ, श्रीमती एस. गीता, एस. एस अहलूवालिया, अमितेश गौरव, प्रतिवादियों के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का यह निर्णय **उदय उमेश ललित, सी.जे.आर्इ.** द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई ।

2. ये अपीलें श्री अरुणपुरी, श्री परमप्रीत सिंह रणधावा एवं अन्य एवं सौरभ शुक्ला द्वारा प्रस्तुत की गईं आपराधिक प्रकीर्ण प्रकरण क्रमांक क्रमशः 2013 के 3492, 2013 के 4636 एवं 2014 के 1762 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित संयुक्त निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.04.21 के विरूद्ध प्रस्तुत की गईं हैं।

3. समाचार पत्रिका इण्डिया टुडे; दिनांक 23. 04. 2007 से 30. 04. 2007 की अवधि काल में एक समाचार 'मिशन मिसकंडक्ट' शीर्षक से लेख प्रकाशित किया गया कि विदेश कार्यालय के लिए शर्मिंदगी की श्रंख्ला में भारतीय उच्च आयोग यू.के. के कार्यालय में समस्त तीन अधिकारियों को यौन अपराध, वीजा जारी करने में भ्रष्टाचार और अवैध प्रवासियों को भारतीय पासपोर्ट की अवैध बिक्री के गंभीर आरोप में वापस बुलाना पड़ा है। यू.के. में पदस्थ भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी द्वारा स्थानीय कर्मचारी से यौन संबंध बनाने का अनुरोध करने का आरोप लगाया जाना भी लेख में समाहित था। लेख में आगे यह कहा गया था कि वह अधिकारी भारत वापस आ चुका है और अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहा है और जब उससे संपर्क किया गया तो संबंधित अधिकारी ने आरोपों से इंकार किया।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि मूल अभियुक्त क्रमांक 12 जिसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जा रही है एडिन वर्ग में 'क्लर्क टाइपिस्ट' के रूप में वाणिज्यिक दूतावास में कार्य कर रही थी और उसने काउंसेल जनरल के समक्ष यह आरोप लगाते हुए शिकायत प्रस्तुत की थी कि उक्त अधिकारी ने उसके साथ लैंगिक अभित्रास किया है। शिकायत दिनांक 10.07.2006 (अभिलेख में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार 10.07.2005 गलत लेख को की गई)। फिर डिप्टी हाई कमिश्नर भारतीय उच्च आयोग लंदन को दिनांक 05.03.2007 को पुनः उक्त अधिकारी द्वारा कार्यस्थल पर निरंतर लैंगिक अभित्रास कारित किए जाने के संबंध में सूचित किया गया। अभिलेख से यह दर्शित होता है कि विदेश मामलों के मंत्रालय द्वारा आदेश दिनांक 08.03.2007 के माध्यम से यह निर्देशित किया गया है कि उक्त अधिकारी को वापस बुलाया जाए और निलंबित किया जाए। दिनांक 15.03.2007 को अभियुक्त क्रमांक 12 द्वारा प्रस्तुत शिकायत विदेश मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव को अग्रेषित की गई जिन्होंने दिनांक 21.03.2007 को यह वर्णित करते हुए आदेश जारी किया कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है और उक्त अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। यह घटना क्रम लेख के प्रकाशित होने के पूर्व का है।

5. लेख के प्रकाशित होने के पश्चात् कुछ घटना क्रम हुए हैं जिसमें विदेश मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.05.2007 को अभियुक्त क्रमांक 12 शिकायत पर ज्ञापन जारी किया गया जिसमें यह स्पष्टीकरण आहूत किया गया कि क्यों न कार्यस्थल पर स्त्री के लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में उक्त अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। दिनांक 31.05.2007 को उक्त अधिकारी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया और अंततः

दिनांक 19.02.2009 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित कर उक्त अधिकारी को दी जाने वाली पेंशन पर स्थायी रूप से बीस प्रतिशत की कटौती अधिरोपित की गई। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा 02.03.2010 को तथा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.07.2011 को पारित आदेश द्वारा स्थिर रखा गया।

6. इस बीच दिनांक 24.03.2010 को उक्त अधिकारी द्वारा परिवाद क्रमांक 584/01/2010 विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई जिसमें श्री अरुण पुरी श्री सौरभ शुक्ला, श्री परमप्रीत सिंह रणधावा, श्री शरत सभरवाल, श्री अशोक कुमार मुखर्जी एवं अन्य अभियुक्त शामिल थे। यह उल्लेख किया गया कि लेख मानहानिकारक और इस प्रकार का था कि अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 120 ख, 405, 468,470, 471, 499, 501 एवं 502 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए कार्यवाही की जाए। परिवाद में वर्णित किए गए कुछ तथ्य इस प्रकार थे-

> "अभियुक्त क्रमांक 01 श्री अरुणपुरी समाचार पत्रिका इण्डिया टुडे के मुख्य संपादक हैं जो कार्पोरेट इकाई "लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड" द्वारा प्रकाशित की जाती है तथा जिसका छपाई और प्रकाशन के लिए पंजीकृत कार्यालय "1.ए हेमिल्टन हाउस कनाट प्लेस नई दिल्ली 110001" है। दिनांक 30.04.2007 को अपने छापे गए संस्करण में शिकायतकर्ता विदेश मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी (अब सेवानिवृत्त) के विरुद्ध अप्रमाणित असत्यापित मनगढंत और दुर्भावनापूर्ण जानकारी पर आधारित लैंगिक उत्पीड़न की झूठी कहानी समाचार पत्रिका के संवाददाता श्री सौरभ शुक्ला अभियुक्त क्रमांक 02 द्वारा अभियुक्त क्रमांक 03 से 12 के साथ मिलकर और उनके इशारे पर लिखी और प्रस्तुत की गई। यह झूठी और मानहानिकारक कहानी इंटरनेट का दुरुपयोग करते हुए पूरी दुनिया में फैलायी गई और वर्ल्ड इलेक्ट्रानिक नेटवर्क जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी के कानून में परिभाषित है में स्थायी उपलब्धता के साथ आज की तिथि तक अवमान कारक, मानहानिकारक सामग्री वेबसाइट www.indiatoday.com पर उपलब्ध है, इसके कारण शिकायतकर्ता को मानहानि एवं उसकी व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान और क्षति, मानसिक यातना, पीड़ा और स्वास्थ्य में गंभीर गिरावट हुई।
>
> 03. यह परिवाद पूरी तरह से झूठी मनगढंत अप्रमाणित असत्यापित दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक कहानी तक सीमित था। इण्डिया टुडे साप्ताहिक समाचार पत्रिका के संवाददाता अभियुक्त क्रमांक 02 श्री सौरभ शुक्ला द्वारा लिखी और प्रस्तुत की गई थी जिनकी रिपोर्ट लेखन और गतिविधियां श्री अरुणपुरी अभियुक्त क्रमांक 01 समाचार पत्रिका इण्डिया टुडे के मुख्य संपादक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में है जिनका दिनांक 03.04.2007 को समाचार पत्रिका इण्डिया टुडे के प्रकाशन ने

मानहानिकारक कहानी के चयन पर पूरा नियंत्रण था, जिसकी सामग्री को दुनियाभर में पढ़ा गया और वेबसाइट www.indiatoday.com पर प्रकाशित किया गया। मानहानिकारक कहानी www.indiatoday.com अभी भी उसके अर्काइव का भाग है, अतः परिवादी की मानहानि और क्षति तथा उसकी प्रतिष्ठा का नुकसान अपराधियों एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की परिवाद करने के दिनांक तक जारी है।

*** *** ****

06. इस परिवाद के 20 पन्नों के संलग्नक में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है मानहानिकारक प्रकाशन अभियुक्त क्रमांक 03 से 12 के सामान्य आशय के अग्रसरण में इण्डिया टुडे पत्रिका के संवाददाता अभियुक्त क्रमांक 02 श्री सौरभ शुक्ला को मीडिया के माध्यम से परिवादी को अपमानित करने के लिए एडिन वर्ग में भारत के वाणिज्यिक दूतावास की स्थानीय कर्मचारी अभियुक्त क्रमांक 12 का लैंगिक उत्पीड़न किए जाने की झूठे परिवाद की दी गई जानकारी का परिणाम था और उन सभी के द्वारा समय-समय पर किए गए आपराधिक कृत्य के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में समुचित कार्यवाही कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा गहन अन्वेषण की आवश्कता प्रकट करता है। जैसा कि निर्धारित विधि के मापदंडो में उचित समझा जा सके एवं एक बार उनके विरूद्ध आरोप उपयुक्त धाराओं में विरचित कर दिये जाये।

*** *** ***

15. उच्च पदाधिकारियों एवं मध्यम स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने आपराधिक लोप एवं कृत्यो के माध्यम से स्वंय के पद का दुरूपयोग किया एवं मानहानि ओर क्षति कारित के सामान्य आशय से आवेदक ने झुठे मनगढंत एवं बनावटी जानकारी को मीडिया में साप्ताहिक इंडिया टुडे मैगजीन में दिंनाक 30.04.2007 के आलेख के माध्यम से प्रसारित किया एवं www.indiatoday.com के माध्यम से झुठे तथा आधारहीन यौन उत्पीडन के अभिकथन विदेशपदाा मंत्रालय द्वारा परिवादी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के पूर्व ही प्रकाशित किये गये जिससे परिवादी की प्रतिष्ठा एवं मान को गंभीर हानि कारित हुई।

इसके बाद परिवादी ने निम्नलिखित अनुतोष प्रार्थित कियेः.

(1). अभियुकत क्रमांक 1 से 12 के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार करें ओर किये गए अपराधों का संज्ञान ले, साक्षीगण, जिनके नाम व विवरण सूचीबद्ध है के कथन लेखबद्ध करें एवं अभियुक्तजन को समन जारी करें, जिनकों विचारण कर दण्डित किया जा सकें।

(2). दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का उपयोग करे एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा धारा34, 120 ख, 405,468,470,471,499 एस.ओ.यू एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65,66,67 के अंतर्गत विवेचना का आदेश दे, जिनके पास इस प्रयोजन से संबंधित आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध है एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करें एवं विचारण करे।

7. महानगर दण्डाधिकारी जिला, नई दिल्ली पटियाला हाऊस न्यायालय नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक.20. 04. 2013 के माध्यम से प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका का सारांश इस प्रकार है-

"9 परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि जबकि अभियुक्त क्रमांक.1 और 02 मुख्य संपादक है एवं इंडिया टुडे के संवाददाता है कि परिवादी के विरूद्ध मानहानिकारक कहानी के प्रकाशन के लिए सीधे उत्तरदायी हैं। शेष अभियुक्तगण अर्थात अभियुक्त क्रमांक 03, 04, 08, 12 अभियुक्त क्रमांक 01 और 02 के साथ षडयंत्र में सम्मिलित थे एवं लंदन में भारतीय उच्चायोग के कार्यालय में अभियुक्त क्रमांक 12 द्वारा प्रस्तुत एक झूठे परिवाद पर आधारित आक्षेपित कहानी के प्रकाशन में सहायक थे। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि अभियुक्त क्रमांक03 04.08.12 की संलिप्तता इस तथ्य से सिद्ध होती है कि यद्यपि परिवादी को आदेश दिनांक 08.03.2007 के द्वारा एडिनबर्ग पर से उसकी तत्कालीन पदस्थापना से वापस बुला लिया गया था। यह उल्लेख उक्त आदेश में नहीं किया गया था कि परिवादी के विरूद्ध आरोपी क्रमांक 12 द्वारा प्रस्तुत कोई भी परिवाद के अंतर्गत अन्वेषण लंबित था या यह परिवाद, परिवादी ओमप्रकाश भोला को समय से पहले वापस बुलाने के पीछे का कारण था। हालांकि दिनांक 30. 04. 2007 के आलेख में उल्लेख किया गया था कि परिवादी को एक स्थानीय कर्मचारी द्वारा उसके विरूद्ध यौन दुर्व्यवहार की परिवाद विचाराधीन होने के कारण एडिनबर्ग में उसकी तत्कालीन पदस्थापना के स्थान से वापस बुला लिया गया था। परिवादी की ओर से यह तर्क किया गया है कि हालांकि परिवादी को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया था। विदेश मंत्रालय द्वारा ज्ञापन दिनांक 21.05.2007 के माध्यम से अभियुक्त क्रमांक12 द्वारा परिवादी के विरूद्ध लगाए गए आरोप के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। हालांकि उस पर उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के निर्वाह के पूर्व ही समाचार पत्र में रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई थी। इसलिए इंडिया टुडे न्यूज मैगजीन के कर्मचारियों को दिनांक 30.04.2007 को जो कथित समाचार पत्र के प्रकाशन की दिनांक है। परिवादी को कारण बताओ सूचना पत्र के निर्वाह के पूर्व ही परिवादी के विरूद्ध अभियुक्त क्र.12 की परिवाद विचाराधीन

होने के बारे में जानकारी नहीं हो सकती थी। हालांकि परिवादी को कथित समाचार रिपोर्ट के प्रकाशन की तारीख अर्थात 21.05.2007 से लगभग 21 दिनों के बाद अभियुक्त क्रमांक.12 द्वारा उसके विरूद्ध किए गए यौन दुर्व्यवहार के आरोपों को स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया था।"

8. महानगर दण्डाधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता.1860 की धारा 120ख सहपठित धारा 500, 502 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए अभियुक्त क्रमांक 01 02 03 04 08 और 12 के विरूद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त सामग्री पाई गई थी। आदेश का प्रर्वती भाग यह था कि, परिवादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री और बलराज खन्ना एवं अन्य विरूद्ध मोतीराम 1971 एस.सी.सी (सी.आर.एल.)647, श्रीमती नागवा विरूद्ध वीराना शिवल्लंगप्पा कोंजालिगी एवं अन्य 1976 एस.सी.सी; (सी.आर.एल.) 507 और एम.एन. दमानी विरूद्ध एस.के. सिन्हा एवं अन्य 2001 सी.आर.एल.जे. 2571 एस.सी के निर्णीत मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के बाद मेरी यह सुविचारित राय है कि अभिलेख की सामग्री अभियुक्त क्रमांक.01, 02, 03, 04, 08 और 12 के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त हैं, तदनुसार अभियुक्त क्रमांक.01, 02, 03, 04, 08 और 12 को दिनांक 05.07.2013 को पीएफ प्रस्तुत करने पर समन जारी किया जाए।

9. उपरोक्त समन आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त अ.1 इंडिया टुडे समाचार पत्रिका के मुख्य संपादक ने आपराधिक एम.सी क्रमांक. 3492/ 2019 एवं अभियुक्त अ.2 आलेख के लेखक ने आपराधिक एम.सी. क्रमांक 1762/ 2014 प्रस्तुत की एवं विदेश मंत्रालय के लोक सेवकों ने आपराधिक एम.सी. क्रमांक 4636/2013 प्रस्तुत की। सभी ने विवादास्पद अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद क्रमांक 584/1/2010 के साथ समन आदेश दिनांक 20.04.2013 को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के अंतर्गत रद्द करने की मांग की।

10. इन तीनों याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा एक साथ विचार किया गया था। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। इसलिए उसने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अपने निर्णय में उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि

"28. भा.दं.सं की धारा 499 के घटक किसी भी रूप में प्रकाशित लांछन की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं जिसमें समाचार पत्र भी शामिल हैं। यदि याचिकाकर्ता भा.द.स. की धारा 499 के अंतर्गत अपवाद के संरक्षण की मांग कर रहा है, तो वह चरण अभी तक नहीं आया है, जिसका अर्थ है कि याचीगण द्वारा की गई प्रस्तुतियां इस चरण में लागू नहीं हैं। याचिकाकर्ता का आचरण, प्रकाशन के लिये लेखों के चयन के लिए कथित रूप से जिम्मेदार था और उसे इस तथ्य की जानकारी

थी कि एक अप्रमाणित कहानी का प्रकाशन परिवादी / प्रत्यर्थी क्र. 2 की प्रतिष्ठा को अपूरणीय रूप से क्षति एवं हानि पहुंचाएगा फिर भी उसने दिनांक 30.04.2007 को मुख्य संपादक के रूप में लेख प्रकाशित कराया।

35. इस प्रकार पक्षकारों द्वारा लगाए गए आरोप और प्रत्यारोप तथ्यों के विवादित प्रश्न उठाते है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

36. इस स्तर पर हमें केवल परिवाद की विषयवस्तु को देखने की आवश्यकता है। इस स्तर पर अभियुक्त के साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है।"

11. हमने अभियुक्त क्र.1 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.वी विश्वनाथन, अभियुक्त क्र.3 अभियुक्त क्र.4 और अभियुक्त क्र.8 की ओर से उपस्थित भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी, अभियुक्त क.2 के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषिकेश बरूआ को सुना है, जबकि उक्त अधिकारी की ओर से अर्थात् मूल परिवादी की ओर से निवेदन श्री आर सतीश विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए थे।

12 श्री श्री के.वी विश्वनाथन विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अभियुक्त क्र.1 समाचार पत्रिका इंडिया टुडे का मुख्य संपादक रहा है। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 की धारा 7 के अंतर्गत उपधारणा एक संपादक के मामले में आकर्षित होगी न कि एक मुख्य संपादक के संबंध में आगे यह निवेदन किया गया है कि उस लेख के लिए अभियुक्त क्र.1 को उत्तरदायी बनाने के लिये प्रधान संपादक के रूप में उनके द्वारा धारण की गयी क्षमता के बारे में केवल आरोप से परे, अभियुक्त क्र.1 की संलिप्पता के बारे में स्पष्टता के साथ बताना चाहिए था।

13 विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री भाटी ने निवेदन किया है कि लोक सेवक किसी भी स्तर पर लेख के प्रकाशन में शामिल नहीं थे। जो भी लोक सेवकों ने कार्यवाही की थी वह उच्च अधिकारियों को उचित और त्वरित सूचना के रूप में थी ताकि ऐसे अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही की जा सके। इस प्रकार लोक सेवकों द्वारा किए गए कार्य पूरी तरह से संरक्षित होंगे और किसी भी अपराध का गठन नहीं करेगें।

14. अभियुक्त क्र.2 के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषिकेश बरूआ के द्वारा अभियुक्त क्र.1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.वी. विश्वनाथन की प्रस्तुतियों को अपनाने की मांग की गई है और निवेदन किया है कि आलेख लिखने से पहले उचित सावधानी बरती गई थी जिसमें उक्त अधिकारी से उसका उत्तर मांगना भी शामिल था।

15. उक्त अधिकारी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर सतीश ने निवेदन किया है कि अधिकतम, अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मामला भा.द.स. की धारा.499 के किसी भी अपवाद के लाभ का दावा करने वाला मामला होगा एवं जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धिरित किया गया है कि ऐसे बिन्दुओ पर विचार करने का उचित प्रक्रम विचारण के स्तर में होगा न कि संहिता की धारा 482 के अंतर्गत याचिका के द्वारा।

16. न्यायादृष्टांत ***के एम मैथ्यू विरूद्ध के.ए. ब्राहम और अन्य*** में मुख्य मामले में अपीलकर्ता *मलयालम मनोरमा* के मुख्य संपादक थे। 1867 अधिनियम की धारा 7 के आधार पर उनकी ओर से यह तर्क किया गया था कि एक अन्य व्यक्ति जो उक्त प्रकाशन का संपादक था उक्त संपादक मात्र के विरूद्ध ही भा.द.स. की धारा 500 के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाया जा सकता है। यह निवेदन कि धारा 7 में मुख्य संपादक का उल्लेख न होने के कारण कथित अपीलार्थी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी होगा इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ परिवादी ने विशेष रूप से आरोप लगाया था कि उक्त अपीलकर्ता को प्रकाशन की जानकारी थी और वह इस तरह के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी था। निर्णय के कंडिका क्र. 8, 9, 10, 14, 15 और 16 निम्नानुसार हैंः..

8. प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 की धारा 7 इस प्रकार हैः

> 7. घोषणा की कार्यालय प्रति का प्रथमदृष्टया साक्ष्य होना- किसी भी सिविल तथा दाण्डिक विधिक कार्यवाही में ऐसी घोषणाओं की अभिरक्षा के लिए इस अधिनियम द्वारा सशक्त किए गए किसी न्यायालय की मुद्रा से अनुप्रमाणित यथापूर्वोकृत ऐसी घोषणा की प्रति का या संपादक की दशा में उस समाचार पत्र की प्रति का जिस पर उसका नाम संपादक के रूप में मुद्रित है। पेश किया जाना (जब तक तत्प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता तब तक ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसका नाम [यथास्थिति] उस घोषणा पर हस्ताक्षरित या उस समाचारपत्र पर मुद्रित है, इस बात का पर्याप्त साक्ष्य माना जाएगा कि वह व्यक्ति ऐसे प्रत्येक समाचारपत्र के प्रत्येक भाग का जिसका नाम वही है जो उस घोषणा में उल्लिखित समाचारपत्र) का है (उक्त घोषणा के शब्दों के अनुसार) मुद्रक या प्रकाशक या मुद्रक और प्रकाशक था या उस समाचारपत्र के उस अंक के जिसकी प्रति पेश की गई है प्रत्येक भाग का संपादक था।

9. अभिव्यक्ति "संपादक" को अधिनियम की धारा 1 में भी परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार हैः

> "1(1) * * *
>
> "संपादक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है कि जो सामग्री के चयन पर नियंत्रण रखता है जो किसी सामाचर पत्र में प्रकाशित की जाती है"

10. अधिनियम की धारा 5(1) को उद्धृत करना भी सुसंगत हैः

> "5. समाचार पत्रों के प्रकाशन के बारे में नियम- भारत में कोई भी समाचार पत्र इसमें इसके पश्चात अधिकथित नियमो के अनुरूप ही प्रकाशित किया जाएगा, अन्यथा नहीं;
>
> (1) धारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे प्रत्येक समाचार पत्र की प्रत्येक प्रति पर उसके स्वामी तथा उसके संपादक के नाम तथा उसके प्रकाशन की तारीख भी स्पष्ट मुद्रित होगी।
>
> (2) * * *"

14. इस उपबंधों के संयुक्त पठन से यह दर्शित होगा कि किसी समाचार पत्र के प्रकाशन की दशा में प्रकाशन की प्रत्येक प्रतिलिपि में उस समाचार पत्र के स्वामी और संपादक के नाम होंगे जिन्होंने उस समाचार पत्र का मुद्रण एवं प्रकाशन किया है। अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत यह उपधारणा ली जाती है कि जिस संपादक का नाम समाचार पत्र में संपादक के रूप में मुद्रित है उसे यह प्रकाशन के संबंध में किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही में संपादक माना जाएगा और संपादक के रूप में उस समाचार पत्र पर मुद्रित उसके नाम की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करना, उस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य माना जाएगा। यह धारणा इस हद तक जाएगी कि यही वह व्यक्ति था जो समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री के चयन को नियंत्रित करता था, लेकिन साथ ही धारा 7 में निहित यह उपधारणा एक खंडनीय उपधारणा है और इसे पर्याप्त साक्ष्य माना जाएगा, जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो जाए, इसलिए यह स्पष्ट है कि भले ही किसी व्यक्ति का नाम समाचार पत्र में संपादक के रूप में छपा हो फिर भी वह यह दिखा सकता है कि वह वास्तव में संपादक नहीं था और समाचार पत्र में प्रकाशित मामले के चयन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। धारा 7 न्यायालय को केवल यह उपधारणा करने के लिये सक्षम बनाती है कि जिस व्यक्ति का नाम संपादक के रूप में छापा गया था, वह ऐसे समाचार पत्र का संपादक था यदि न्यायालय में पेश किया गया प्रकाशन इस आशय को दर्शित करता है।

15. इस मामलों में अपीलार्थीगण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उन्हें इन प्रकाशनों में संपादको के रूप में नहीं दर्शाया गया था और उनके नाम मुख्य संपादक प्रबंध संपादक या निवासी संपादक के रूप में मुद्रित किए गए थे, "संपादक" के रूप में नहीं और इसलिए उस समाचार पत्र में किसी भी मामले के कथित अपमानजनक प्रकाशन के लिए उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

16 इस अपीलार्थीगण का सकथन तर्क संगत नहीं है। प्रबंध संपादक निवासी संपादक या मुख्य संपादक को समाचार पत्र में किसी भी मामले के कथित प्रकाशन के लिए किसी भी अभियोजन के विरूद्ध कोई वैधानिक प्रतिरक्षा नहीं है जिस पर इन व्यक्तियों का नियंत्रण है। इस सभी मामलो में परिवादीगण ने विशेष रूप से अभिकथन किया है कि इन अपीलार्थीगण को कथित मानहानिकारक मामले के प्रकाशन की जानकारी थी और वे ऐसे प्रकाशन के लिये उत्तरदायी थे और जिन दंडाधिकारीगण ने अपराध का संज्ञान लिया था, उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि इन अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला था। ऐसी परिस्थितियों में इन अपीलार्थीगण के विरूद्ध समन जारी किए गए थे।

17 इस प्रकार इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि यद्यपि धारा 7 के अधीन उपधारणा संपादक के संबंध में उपलब्ध है यदि तथ्य न्यायोचित हें तो मुख्य संपादक के विरूद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित मामलों मे मुख्य संपादक और संबंधित मामलों से जुड़े इसी तरह के अन्य व्यक्तियों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के बारे में विशिष्ट और पर्याप्त आरोप लगाए गए थें।

18. अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगेः क्या भा.द.स. की धारा 499 के किसी अपवाद का लाभ उठाया जा सकता है और क्या ऐसे अपवादों के आधार पर कार्यवाही को उस स्तर पर रद्द किया जा सकता है जब संहिता की धारा 482 के अधीन किए गए आवेदन पर विचार किया जा रहा हो?

19. न्यायदृष्टांत ***जवाहरलाल दारदा व अन्य विरूद्ध मनोहरराव गणपतराव कापसीकर व अन्य*** में मानहानि के संबंध में परिवाद का विषय विधान सभा की कार्यवाही के बारे में एक समाचार पत्र द्वारा किया गया प्रकाशन था जिसमें कुछ परियोजनाओं के लिये सरकारी धन के गलत विनियोग का मुद्दा था। निर्णय यह दर्शाता है कि जहाँ लेख सदन की कार्यवाही की सटीक ओर सच्चे प्रकाशन के संबंध में लोक सेवकों के आचरण पर पूर्ण विश्वास के साथ प्रकाशित किया गया था, जिन्हें आम-जन के हित में उपयोग लाए जाने वाले सार्वजनिक धन के संबंध में विश्वसनीय माना गाया था वहां ऐसी सुरक्षा बढाई गई थी तथा संहिता की धारा 482 को उपयोग में लाया गया था। निर्णय की कंडिका क्रमांक 5 निम्नानुसार हैः.

"5. यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने अपने समाचार पत्र में जो प्रकाशित किया है वह विधानसभा की कार्यवाही की एक सटीक एवं सच्ची रिपोर्ट थी। शासन द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच में प्रत्यर्थी की संलिप्ता दर्शित हुई थी। यदि अभियुक्त ने सद्भाविक रूप से मंत्री के मामले को सच मानते हुए रिपोर्ट की थी तो यह नहीं माना जा सकता

है कि उसका आाशय परिवादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का था। यह रिपोर्ट लोक सवको के लोक अचारण के संबंध में थी जिन पर लोकधन को आम जनता के हित में उपयोग में लाये जाने हेतु विश्वास किया गया था। अतः तथ्यो और परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि समाचार आम-जन के हित में प्रकाशित किया गया था। इन सभी तथ्यो को उच्च न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया है।"

20. इसी प्रकार न्यायदृष्टांत ***राजेन्द्र कुमार सीताराम पांडे विरूद्ध उत्तम*** में परिवादी के दुराचरण के संबंध मे एक वरिष्ठ अधिकारी को की गई शिकायत को भा.द.स. की धारा 499 के अपवाद 8 के द्वारा पूरी तरह संरक्षित किया गया था और कार्यवाही को खारिज किया गया था। निर्णय के पैराग्राफ 7 का सुसंगत भाग निम्नानुसार हैः

7. इन प्रकार की परिस्थितियों में जहां अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के वरिष्ठ अधिकारी को इस आशय की शिकायत की गई हो कि उन्होंने ट्रेज़री अधिकारी के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया था, जो वर्तमान परिवाद की गंभीरता से अधिक कुछ भी नहीं है वह भा.द.स. की धारा 499 के अपवाद 8 में शामिल होगा। परिवाद में अभिलिखित अभिवचनो के अवलोकन से हम संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियो में मानहानि का कोई मामला नहीं बनता है। मामले के इस दृष्टिकोण में अभियुक्त व्यक्तियों को मुकदमे का सामना करने या यहां तक कि प्रक्रिया जारी करने के प्रश्न पर पुनर्विचार के लिए नए सिरे से मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की आवश्यकता न्याय के हित में नहीं होगी। दूसरी ओर, हमारी सुविचारित राय में, यह प्रक्रिया जारी करने के आदेश और स्वयं कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। ... "

21. यह स्पष्ट है कि किसी दिए गये मामले में यदि तथ्य उचित हो तो भा.द.स. की धारा 499 के अपवाद का लाभ दिया जा सकता है और इसे एक कठोर सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि अपवाद का लाभ केवल विचारण के स्तर पर ही लिया जा सकता है।

22. इसी प्रकार यद्यपि ***के.एम. मैथ्यू*** में पारित सिद्धांत जिसका पश्चात्वर्ती स्तर पर भी पालन किया गया था कि 1867 अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दिये गये उपधारणा का लाभ संपादक या मुख्य संपादक पर लागू नहीं होगा परंतु ऐसे मामलो का निराकरण परिवाद में उल्लेखित आक्षेपो के परिपेक्ष में किया जाना चाहिए, यदि ऐसे आक्षेप विशिष्ट एवं पर्याप्त है तो संपादक या मुख्य संपादक को ऐसा लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसके विपरीत यदि कोई विशिष्ट या पर्याप्त आक्षेप नहीं है तो वहां तो ऐसी स्थिति में मामला इस पर आधारित होगा कि संपादक या मुख्य संपादक के विरूद्ध ऐसे अपवाद लागू नहीं किये जा सकते है

23. इन सिद्धातों के आलोक में यदि परिवाद में उल्लेखित अभिवचन एवं आक्षेपों पर विचार करे तो मुख्य संपादक अभियुक्त क्र. 1 के विरूद्ध कोई विशिष्ट तथ्य प्रकट नहीं हुए है। अतः मुख्य संपादक को लेखक अभियुक्त क्र.2 द्वारा किये गये कृत्य के संबंध में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। परिवाद में उल्लेखित आक्षेप के आधार पर अभियुक्त क्र.2 के विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है।

24. अभियुक्त क्र. 2 द्वारा निभाई गई भूमिका के आलोक में इस स्तर पर यह कहना आवश्यक है कि किसी लेख के लेखक के रूप में उसका मामला अलग स्तर पर हैं। उसके द्वारा किया गया कृत्य उचित था या नहीं यह तथ्य का प्रश्न है जिस पर केवल विचारण के स्तर पर ही जाना उचित होगा।

25. जहां तक लोकसेवकों का संबंध हैं वे प्राथमिक रूप से लेख के संबंध में जिम्मेदार नहीं है और उनकी जिम्मेदारी, यदि कोई है, तो वह केवल इस सीमा तक है कि वह अभियुक्त क्र.12 द्वारा की गई शिकायत में सम्मिलित है या उनकी लोकसेवक की क्षमता के रूप में उनके वरिष्ठ को शिकायत की गई हो। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा *न्यायादृष्टांत* ***राजेन्द्र कुमार सीताराम पाण्डे*** में पारित सिद्धांत के आलोक में उनका कृत्य पूर्णतः संरक्षित है।

26. इन परिस्थितियो में अभियुक्त क्र.1 एवं लोकसेवक (अभियुक्त क्र.3, अभियुक्त क्र.4 एवं अभियुक्त क्र.8) के संबंध में अपील स्वीकार की जाती है तथा उन्हें समन करने वाला आदेश तथा उनके विरूद्ध दर्ज परिवाद क्रमांक 584/1/2010 खारिज किया जाता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त क्र.2 द्वारा की गई प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।

तदनुसार आदेश किया गया।

अपील ख़ारिज की गयी

Ishan Dhengula

समाप्ति नोट

1. समाचार वस्तु- संक्षेप में “लेख “
2. भारतीय दंड संहिता -संक्षेप में “भा.द.स.”
3. आपराधिक प्राक्रिया संहिता - संक्षेप में “संहिता”

4. के.एम मैथ्यू विरुद्ध के.ऐ. अब्राहम और अन्य -(2002) 6 एससीसी 670
5. जवाहरलाल दर्डा और अन्य विरुद्ध मनोहरराव गणपतराव कापसीकर और अन्य -(1998) 4 एस. सी. सी. 112
6. राजेन्द्र कुमार सीताराम पांडे विरुद्ध उत्तम- (1999) 3 एस. सी. सी. 134.